

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-10

संख्या 2601/6-पु0-10-11-27(28)-2001 टी0सी0

लखनऊ, 25 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अन्य समस्त समर्थनकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा सख्त अधिसूचना संख्या-3730/छ:-पु-10-2002 दिनांक 31 दिसम्बर, 2002, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 बनायी गयी थी, को अधिकमित करके राज्यपाल, शासनादेश संख्या-2095/छ:-पु-10-2011 दिनांक 26.9.2011 द्वारा सन् 1861 के उक्त अधिनियम के अधीन पुलिस बल घोषित, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित)  
सेवा नियमावली, 2011

भाग-1—सामान्य

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1.(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 कही जायेगी।  
(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की  
प्रास्थिति  
परिभाषायें

2. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।  
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में—  
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;  
(ख) प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी एवं सी के पदों के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश से हैं और कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक/ पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश से हैं;

(2)

- (ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य समय—समय पर इस निमित्त जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित 'उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड' से है;
- (घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
- (ङ.) 'कम्प्यूटर केन्द्र' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र से है;
- (च) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (छ) 'पूर्व प्रवृत्त नियमावली' का तात्पर्य उम् प्र० पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 से है;
- (ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
- (ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय—समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;
- (ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा से है;
- (ड) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

### भाग—दो—संवर्ग

#### सेवा का संवर्ग

- 4.(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:-

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल पद
1.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए	4	2840	2844
2.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—बी	—	315	315
3.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—सी	20	02	22
4.	प्रोग्रामर ग्रेड—2	14	03	17

(3)

### परन्तु यहकि—

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

### भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत 5.सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,—

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए —सीधी भर्ती द्वारा ।

(2) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी—मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के द्वारा पर छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यहकि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

(3) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी—मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर छः वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यहकि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

(4) प्रोग्रामर ग्रेड-2—

(1) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(2) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद धारकों में से सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद पर कम से कम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यहकि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

## आरक्षण

## राष्ट्रीयता

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय – समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग-चार - अहंतार्ये

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पॉकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानीका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ़्रीकी देश से प्रव्रज्ञ किया हो:

परन्तु यहकि उपर्युक्त श्रेणी (ब) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अहंता 8. सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित शैक्षिक अहंता होनी आवश्यक है—

## (1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए—

- (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(5)

एवं

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एकीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्प्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ओ" लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या

(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना पौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहंता।

## (2) प्रोग्राम ग्रेड-2-

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहंता।

एवं

भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एकीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्प्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ए" लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या

(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी) या विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स) की उपाधि के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.) या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहंता।

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(क) प्रावेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संरथान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेचर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, नीचे दी गयी सारिणी में पद के विरुद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो:-

(6)

क्रम संख्या	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	18 वर्ष	28 वर्ष
2.	प्रोग्रामर ग्रेड-2	21 वर्ष	30 वर्ष

## परन्तु यहकि—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाय।

## चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोज्य के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

## वैवाहिक प्राप्तिशक्ति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु यहकि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

## शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे, परन्तु पदोन्ति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

### भाग-पांच - भर्ती की प्रक्रिया

**रिक्तियों का  
अवधारण**

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप से रिक्तियां अधिसूचित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे:-

- (1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा।
- (2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके।
- (3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
- (4) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

**सीधी भर्ती की  
प्रक्रिया**

#### 15. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु भर्ती प्रक्रिया-

- (1) सेवा में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी। बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नवत् होगी-

##### (2) लिखित परीक्षा—(200 अंक)

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य तथा तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगी। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलायेगा।

##### (3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा —(अर्हकारी)

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी। हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।

- (4) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में

प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा।

- प्रोग्रामर ग्रेड-2 16.(1) हेतु भर्ती प्रक्रिया**
- (2) सेवा में प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी। बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से उप नियम-(2) के अनुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।
- (2) लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हाने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो, उप नियम (3) में उल्लिखित सूची में रखा जायेगा।
- (3) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा।

- प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 17. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया-**
- (1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(9)

- (2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शवित एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।
- (3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे—
- (क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10)
- (ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)
- (ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण ( तीन दिवस या अधिक अवधि का ) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)
- (घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)
- प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेख पर विचार किया जायेगा।
- सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।
- (5) नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

#### 18. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया—

- (1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।
- (2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य,

(10)

तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे—

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अर्धोन प्रत्येक प्रशिक्षण ( तीन दिवस या अधिक अवधि का ) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

(5) नियम -6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता कम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

#### 19. प्रोग्रामर ग्रेड-2 हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी से प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(11)

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे—

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण ( तीन दिवस या अधिक अवधि का ) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

(5) नियम -6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता कम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अप्रसारित करेगा।

**संयुक्त चयन सूची** 20.यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

**भाग-छ—नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता**

**नियुक्ति** 21.(1)नियम 6 एवं 14 के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिसमें वे यथारिति, नियम 15,16,17,18,19 या 20 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2)यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा,जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथा स्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता

(12)

के कम में या उस संवर्ग में उनके नाम के कम में, जिसमें से उन्हें प्रोन्नत किया गया हो, किया जायेगा। यदि सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियां की गयी हैं तो नामों को नियम-20 में निर्दिष्ट चकानुकम के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा।

प्रशिक्षण

22. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पश्चात् व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो कि उसके पद के अनुसार कम्प्यूटर कार्य के ज्ञान हेतु आवश्यक हो, अथवा जैसा कि सरकार या विभागाध्यक्ष तकनीकी सेवायें द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।

परिवीक्षा

23.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

24.(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक है,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

(13)

ज्येष्ठता

25. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

#### भाग—7—वेतन इत्यादि

वेतनमान

26. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।  
 (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय शासन द्वारा प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए	वेतन बैण्ड-1	रु0 5200—20200	रु0 2400
2.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—बी	वेतन बैण्ड-1	रु0 5200—20200	रु0 2800
3.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—सी	वेतन बैण्ड-2	रु0 9300—34800	रु0 4200
4.	प्रोग्रामर ग्रेड—2	वेतन बैण्ड-2	रु0 9300—34800	रु0 4600

परिवीक्षा  
अवधि में वेतन

- 27.(1)फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2)ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3)ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

#### भाग — आठ — अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

28. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से

(14)

मिन किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विवार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्पण प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनहूं कर देगा।

अन्य विषयों  
का विनियमन

29. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की  
आज्ञापक  
शर्तों में  
शिथिलता

30. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं के उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

अधिकार,  
विशेषाधिकार  
एवं  
उत्तरदायित्व

31. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी तथा प्रोग्रामर ग्रेड-2 विशेषाधिकार, दायित्वों, शाक्तियों, दन्डों एवं संरक्षणों हेतु पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।

स्थानान्तरण

32. संवर्ग में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति व अन्य किसी आदेश के अधीन कार्यरत कार्मिकों को कार्य की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष, तकनीकी सेवायें अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा संवर्ग के अधीन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद/स्थान/इकाई पर नियुक्त/स्थानान्तरित किया जा सकता है। जनपद को आवंटित/स्थानान्तरित कर्मियों को सम्बन्धित जनपद के थाना/पुलिस इकाई पर नियुक्ति/स्थानान्तरण जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

व्यावृत्ति

33. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से,

  
(कुंवर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव,